अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI):–

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, जनपद नैनीताल द्वारा फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नैनीताल को पी0एम0एफ0एम0ई0 स्टोर (रिटेल आउटलेट) के रूप में विकसित किया गया है। यह आउटलेट डीएसए मैदान एवं नैना देवी मन्दिर मार्ग के समीप प्राइम लोकेशन पर स्थित है। जनपद के कृषि/औद्यानिकी से सम्बन्धित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने तथा इसकी ब्रांडिंग एवं विक्रय हेतु पी0एम0एफ0एम0ई0 योजना के अन्तर्गत पी0एम0एफ0एम0ई0 स्टोर (रिटेल आउटलेट) स्थापित किया गया है। स्थापित रिटेल आउटलेट को संचालित करने हेतु कृषकों के उत्पादों के समर्थन एवं विपणन हेतु फार्मर प्रोडयूसर ऑर्गनाइजेशन (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), पंजीकृत स्वायत्त सहकारी समितियां, सामुदायिक आधारित संगठन/संस्थान (सीबीओ) एवं अन्य उत्पादनकर्ता से उपयुक्त एजेन्सी के चयन हेतु सीमित निविदा सूचना (EOI) आमंत्रित की जाती है।

निविदा के वांछित अभिलेखों का निर्गत किया जाना	दिनांक 13.07.2022
निविदा आमंत्रण की अन्तिम तिथि	दिनांक 26.07.2022 अपरान्ह 3:00 बजे
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 27.07.2022 अपरान्ह 1:00 बजे
पत्राचार हेतु पता	कार्यालय–मुख्य उद्यान अधिकारी, विकास भवन भीमताल, नैनीताल (E-Mail - horti.nainital@gmail.com) दूरभाष नं0– 05942-247266

उपरोक्त तिथियां सांकेतिक हैं तथा इस सम्बन्ध में मुख्य उद्यान अधिकारी, नैनीताल को उपरोक्त तिथियों/समय सीमा में परियर्तन/निविदा में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।

नोट:– निविदा से सम्बन्धित विशिष्टियां/शर्ते एवं विस्तृत जानकारी विभागीय बेवसाइट– shm.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

(डा0नरेन्द्र कुमार)
मुख्य उद्यान अधिकारी,
नैनीताल।

Chief Horticulture Officer
NAINITAL

PMFME

निर्धारित शर्ते एवं विशिष्टियां

1. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में प्रभावी बाजार प्रदान करने के उद्देश्य से, अपने प्रमुख स्थान के कारण वाणिज्यिक लाभ को ध्यान में रखते हुये नैनीताल में डी.एस.ए. मैदान एवं नैना देवी मन्दिर मार्ग पर प्राइम लोकेशन पर स्थित अपनी खाद्य प्रसंस्करण इकाई का एक खुदरा आउटलेट में पुनर्विकास किया है। जनपद एवं राज्य के उत्पादकों, मुख्य रूप से पी0एम0एफ0एम0ई0 योजना के लाभार्थियों और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (एफ.पी.ओ.), स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.), पंजीकृत स्वायत्त सहकारी समितियां, सामुदायिक आधारित संगठन/संस्थान (सी.बी.ओ.) एवं अन्य उत्पादनकर्ता से उपयुक्त एजेन्सी एवं उत्तराखण्ड के अन्य उत्पादकों को ब्राडिंग और बिकी इस खुदरा आउटलेट से किया जाना प्रस्तावित है।
2. नामित स्टोर का उद्देश्य कृषि एवं औद्यानिकी आधारित उत्पादों, बेकरी, शहद और मधुमक्खी उत्पादों, मशरूम और मशरूम उत्पादों, चाय, मसालों और मसालों जैसे उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला को विक्रय करने का है। तेल और अन्य उत्पाद जो उत्तराखण्ड के उत्पादकों से उपलब्ध है, को भी बिकी किया जायेगा।
3. निर्मित आउटलेट का उद्देश्य कृषि एवं उद्यान आधारित उत्पादों (बेकरी, शहद एवं शहद उत्पाद, मशरूम एवं मशरूम के उत्पाद, चाय, मसाला, तेल एवं अन्य उत्पाद) जो उत्तराखण्ड के उत्पादकों से उपलब्ध होगा, की बिकी इस केन्द्र के माध्यम से की जायेगी।
4. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तराखण्ड जो लाभार्थी की उपज के विपणन और ब्रांडिंग के लिये नोडल एजेन्सी के तहत विभिन्न योजनाएं (पी0के0वी0वाई0, बागवानी मिशन, पी0एम0एफ0एम0ई0 आदि) संचालित की जा रही हैं। रिटेल आउटलेट पी0एम0एफ0एम0ई स्टोर (रिटेल आउटलेट) उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तराखण्ड के अधीन संचालित किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड हॉर्टीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का समय–समय पर मार्केटिंग के सम्बन्ध में सहयोग लिया जायेगा।
5. किसी भी कानूनी या अन्य विवाद के लिये, क्षेत्राधिकार माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल का होगा।
6. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड का चयनित एजेन्सी के कार्य के प्रति किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
7. चयनित एजेन्सी को विभाग की विशिष्टियों एवं शर्तों के अनुसार कार्य करना होगा, किसी भी प्रकार के बदलाव से पूर्व उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड की अनुमति लेना आवश्यक होगा।
8. निविदा को निरस्त/स्थगित तथा निर्धारित शर्तो में परिवर्तन करने का अधिकार उद्यान विभाग को होगा।

Chief Horticulture Officer
NAINITAL

कार्यक्षेत्र (Cope of work)

1. चयनित एजेन्सी को उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड के पी0एम0एफ0एम0ई0 स्टोर (रिटेल आउटलेट) का संचालन और रखरखाव (O&M) भागीदार के रूप में करेगी और सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के प्रबन्धन सहित आउटलेट के दिन–प्रतिदिन के कामकाज में शामिल होगी। अलमारियों/रैक्स पर उत्पाद, प्रदर्शित उत्पादों की बिक्री और कोई भी अन्य सम्बद्ध गतिविधियाँ संयुक्त रूप से संचालित करेगी।
2. चयनित एजेन्सी हर समय प्रदर्शन स्थल पर उत्पादों का उचित स्टॉक बनाये रखेगी और अधिक से अधिक विपणन के साथ ही प्रभावी ब्राडिंग और विज्ञापन करेगी, ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके।
3. चयनित एजेन्सी हर समय खातों की पुस्तकों और अन्य की पारदर्शिता बनाये रखेगी। प्रासंगिक रिकॉर्ड और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तराखण्ड के सामने प्रकट करें।
4. चयनित एजेन्सी किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों में लिप्त नहीं होगी।
5. अनुबन्ध की प्रारम्भिक अवधि 04 वर्ष के लिये होगी, और प्रदर्शन एवं लाभ के आधार पर होगी। यह अवधि पारस्परिक सहमति (विभाग एवं एजेन्सी) के आधार पर 04 वर्ष की अवधि के लिये आगे बढ़ायी जा सकती है। चयनित एजेन्सी और उद्यान विभाग के बीच सहमति आवश्यक होगी।
6. यह सुनिश्चित करने के लिये कि उद्यान विभाग द्वारा एजेन्सी के कार्य की नियमित रूप से निगरानी की जायेगी। एजेन्सी द्वारा प्रदर्शन, समय सारिणी और गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा।
7. उत्पादों की बिक्री से सम्बन्धित सभी बिलिंग, बिक्री राजस्व और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड की पारदर्शिता के लिये बिक्री केन्द्र पर (पी.ओ.एस) प्रणाली के माध्यम से की जानी आवश्यक होगी। एजेन्सी द्वारा प्रदर्शन, समय सारिणी और गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा। बिक्री राजस्व और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की पारदर्शिता के लिये उत्पादों की बिक्री से सम्बन्धित सभी बिलिंग प्वांइट ऑफ सेल्स (पीओएस) प्रणाली के माध्यम से की जानी आवश्यक होगी।
8. यह प्रस्ताव आउटलेट के शीर्षक, स्वामित्व या पट्टे के अधिकार को चयनित एजेन्सी हस्तांतरित नहीं कर सकेगा तथा विभाग की सम्पत्ति किसी अन्य को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा।
9. प्राधिकरण आउटलेट को चलाने के लिये बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फिटिंग और फिक्चर सहित बुनियादी आवश्यक सुविधायें एवं बुनियादी ढांचा विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा, जिसे चयनित एजेन्सी द्वारा उचित रख–रखाव रखना आवश्यक होगा।
10. समस्त विद्युत एवं पानी सम्बन्धित बिलों का भुगतान चयनित एजेन्सी द्वारा नियमित किया जायेगा।

Chief Horticulture Officer
NAINITAL

11. अधिकतम निविदादाता/एजेन्सी को अनुबंध के समय सिक्योरिटी/जमानत के रूप में रू0 1.00 लाख की धनराशि सावधि जो मुख्य उद्यान अधिकारी के नाम से बंधक होगी, जमा करना आवश्यक होगा।

वित्तीय

1. आउटलेट से प्रतिवर्ष अनुमानित रू0 2000000 (रू0 बीस लाख मात्र) की धनराशि का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।
2. उत्पादकों को उनके उत्पादों की बिक्री के अनुपात में आउटलेट के राजस्व से एम.आर.पी. बिक्री का 75 प्रतिशत का अंश की धनराशि अथवा चयनित एजेन्सी एवं उत्पादकों की आपसी सहमति (उत्पादक एवं चयनित एजेन्सी द्वारा) से समय–समय पर तय किया जायेगा।
3. अवशेष 25 प्रतिशत का उपयोग रिटेल आउटलेट को संचालित करने हेतु तथा चयनित एजेन्सी संचालक एवं उद्यान विभाग द्वारा आपस में हिस्सेदारी की जायेगी।
4. उपरोक्त कमांक 3 पर अंकित 25 प्रतिशत धनराशि में बोली लगाने वाली फर्मो से अनुरोध है कि वे इस आशय को स्पष्ट करें कि वह कितना प्रतिशत धनराशि मासिक आधार पर विभाग को देगी। उसी उच्च बोलादाता को ही रिटेल आउटलेट संचालित करने हेतु चयनित किया जायेगा। बोलीदाताओं को अपनी कंपनी/फर्म/एजेन्सी के लेटरहेड पर इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का संकेत देते हुये एक कंवरिग लेटर प्रस्तुत करना होगा और फर्म द्वारा उद्यान विभाग को मासिक आधार पर दिये जाने वाले मार्जिन के शेयर प्रतिशत का उल्लेख करना होगा। **(उसी के लिये प्रारूप अनुबंध 1 के रूप में संलग्न है।)**
5. आउटलेट चलाने में एजेन्सी द्वारा किये गये किसी भी नुकसान/हानि के लिये उद्यान विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज :–

1. **संलग्न प्रारूप के अनुसार गैर–ब्लैकलिस्टिंग की घोषणा।**
2. **वैध जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र।**
3. **पैन कार्ड नं0 व्यक्तिगत/फर्म/एजेन्सी।**
4. **विगत 03 वर्षो का आयकर रिटर्न (यदि लागू है)।**
5. **फर्म/कम्पनी/एजेन्सी /ए0ओ0पी0 की दशा में निर्मित संविधान की प्रति।**

(डा0 नरेन्द्र कुमार)
मुख्य उद्यान अधिकारी,
नैनीताल
Chief Horticulture Officer
NAINITAL

Annexure 01

सेवा में,

मुख्य उद्यान अधिकारी,
स्थित विकास भवन भीमताल
जनपद नैनीताल।

विषयः– **आपके द्वारा विज्ञापित नैनीताल में स्थित पी0एम0एफ0एम0ई0 स्टोर (रिटेल आउटलेट) को संचालित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2022 को विज्ञापित अभिरूची की अभिव्यक्ति एवं इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्ते एवं विशिष्ठियों को भलीभाँति अध्ययन कर लिया गया है। इस हेतु अपना प्रस्ताव निम्न प्रकार सेवा में प्रेषित कर रहे हैं। हम विभाग एवं कम्पनी के लाभान्श का विवरण निम्न प्रकार आपकी सेवा में प्रेषित कर रहे हैं।

कम्पनी का अंश (प्रतिशत) Share of agency (percentage)	विभाग का अंश (प्रतिशत में) Share of authority (percentage)
अंको में	**अंकों में**
शब्दों में	**शब्दों में**
नोटः– जो लाभान्श प्रतिशत ऊपर अंकित किया गया है, वह उत्पादक अंश को काटकर प्रदर्शित किया गया है।	

निविदाता एजेन्सी का पूर्ण विवरण (नाम, पता, मोबाइल नं0, ई–मेल आईडी, जी0एस0टी0 नंबर, पैन कार्ड नं0 आदि) आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाये।

धन्यवाद

(For---)
Authorised Signatory

Selection of a suitable agency to Run Retail Outlet developed for support of beneficiaries of PMFME, FPOs, CBOs and other producers of the State for marketing, brandingand sale at

D.S.A. Maidan and Naina Devi Mandir Marg in Nainital

<u>Notice Inviting Tender</u>

Schedule:

Date of issue of documents	**Date 13.07.2022**
Last date and time of Bid submission	**Date 26.07.2022, 3:00 PM**
Bid Opening Date	**Date 27.07.2022, 1:00 PM**
Address for Communication	**Chief Horticulture Office, Vikas Bhawan Bhimtal. Nainital** **E-Mail horti.nainital@gmail.com** **Contact No. 05942-247266**

For Department of Horticulture and Food Processing

Chief Horticulture Officer
NAINITAL

Chief Horticulture Officer

Nainital

Prescribed conditions and specifications

1. In order to provide effective market to the Farmer Producer Organization (FPO), Self Help Groups (SHGs) Registered Autonomous Cooperative Societies, Community Based Organizations/ Institutions (CBOs) and other producers, the Horticulture and Food Processing Department, Uttarakhand is setting up a retail outlet at D.S.A. Maidan and Naina Devi Mandir Marg in Nainital, which due to its prime location, would support in providing a great platform for the marketing of the beneficiaries of Department of Horticulture and Food Processing.
2. With an aim to provide effective market, branding and sales to the producers of the District and State, mainly the beneficiaries of PMFME scheme and from suitable agencies and other producers of Uttarakhand to be branded and sold from this retail outlet.
3. The purpose of the designated store is to sell a wide range of products like Agro & Horticulture based products, Bakery, Honey & Bee products, Mushroom & Mushroom products, Tea, Spices & Condiments, Oil and other products which are available from the producers of Uttarakhand will also be sold.
4. The store will be operated under the Department of Horticulture and Food Processing, Uttarakhand which is the nodal agency at the state level for promotion of market linkages and branding of products of the Horticulture based beneficiaries and organizations of the State. Various schemes are being operated under the nodal agency for marketing and branding of the produce of the beneficiaries. Retail Outlet PMFME Store (Retail Outlet) will be operated under the Department of Horticulture and Food Processing, Uttarakhand and cooperation of Uttarakhand Horticulture Board will be taken from time to time regarding marketing.
5. For any legal or other dispute, the jurisdiction will be of Hon'ble High Court, Uttarakhand, Nainital only.
6. Horticulture and Food Processing Department, Uttarakhand will not have any kind of obligation/liability towards the act of the selected agency in any way whatsoever.

Chief Horticulture Officer,
NAINITAL.

7. The selected agency will have to work as per the specifications and conditions of the Department. It will be necessary to take permission of Horticulture and Food Processing Department, Uttarakhand before making any structural or allied changes in the building of the retail outlet.
8. Horticulture Department has the right to cancel /postpone the tender/ EOI and change the prescribed conditions as desired.

Scope of Work

1. The selected agency shall operate and maintain the retail outlet as an Operation and Maintenance (O&M) Partner of the Department of Horticulture & Food processing, Uttarakhand (According to Govt. Of Uttarakhand directions time to time) and will be involved in the day to day working of the outlet including management of the entire supply chain, display of products on shelves, sale of displayed products and any other allied activities.
2. The agency shall maintain proper stock of products at the display at all times and shall do effective branding and advertisement of the same, to ensure greater profitability.
3. The Agency shall at all times maintain transparency of books of accounts and other relevant records and disclose them to the Authority as and when required.
4. The Agency shall not indulge in any type of illegal activities whatsoever.
5. The initially term of contract shall be for 04 years, and based on the performance and profitability, shall be extendable further by 04 years or any term mutually agreed thereon between the Agency and Authority.
6. The work of the agency shall be monitored regularly by the Authority, to ensure that there is no compromise with performance, time schedule and quality by the Agency.
7. All billing related to sale of products must be made through Point of Sales (PoS) system for transparency of sales revenue and other relevant records.
8. This proposal does not transfer the title, ownership, or lease rights of the outlet and property therein to the agency in any manner whatsoever.
9. The Authority shall provide the basic necessary infrastructure to run the outlet, including electrical and electronic equipment, fittings and fixtures, which shall be well maintained by the agency.

Chief Horticulture Officer
NAINITAL.

10. Payment of all electricity and water related bills by the selected agency will be done regularly.
11. It will be mandatory for Maximum bidder/ agencyto deposit security amounting to Rs. 1,00,000/- which will be in the name of the Chief Horticulture Officer, Nainital at the time of allotment of contract.

FINANCIAL :

1. Estimated revenue from the outlet is Rs. 20,00,000/- (Rupees fifteen lakh only) per year.
2. The producers shall be paid proportionate sales of their products from the revenue of the outlet which would be 75% share of the sale amount or with the mutual consent of the selected agency and the producers that would be fixed from time to time.
3. The remaining 25 percent will be used to operate the retail outlet and will be shared by the selected agency operator and the Horticulture Department.
4. The bidders are requested to clarify the percentage of the amount which they will give to the department on monthly basis from the 25% amount mentioned at number 3 above. Only the highest bidder will be selected to operate the retail outlet. The bidders will have to submit a covering letter on the letterhead of their company/firm/agency indicating their acceptance of the offer and the share of percentage of the margin to be paid by the firm to the Horticulture Department on monthly basis (for the same the format is attached as Annexure-1)
5. The Department will not be liable for any damage/loss caused by the agency in running the outlet in any manner whatsoever.

Documents to be submitted by the bidder:

1. Declaration of Non-Blacklisting as per attached format.
2. Valid GST Registration Certificate.
3. PAN of individual/firm/agency
4. Income Tax returns along with financials for last 3 years.
5. Constitution documents in case of firm/company/AOP.

Chief Horticulture Officer
NAINITAL.

Annexure 1

To,

The Chief Horticulture Officer,
Nainital.

Regarding Acceptance and Offer in response to the Notice regarding running of Retail Outlet at Nainital

Dear Sir/Madam,

The expression of interest advertised by you on July 13, 2022 on the above subject and the conditions and specifications laid down in this regard have been studied thoroughly. For this, we are sending our proposal as follows.

Thus, we offer to share the profit margin to Uttarakhand Horticulture Board (The Authority) in the following percentage:

Company's Share/ Share of Agency (percentage)	Department's Share/ Share of Authority (percentage)
In words:	In words:
Note:- The dividend percentage which has been mentioned above is shown after deducting the productive share.	

Thanks and Regards,

[Complete details of the tendering agency (name, address, mobile no., e-mail id, GST number etc.) must be mentioned.]

(For ______________________)
Authorised Signatory